LABOUR DEPARTMENT

The 31st July, 1979

No. 11(112)-3Lab-79/8186. —In pursuance of the provisions of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. XIV of 1947), the Governor of Haryana is pleased to publish the following award of the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Faridabad, in respect of the dispute between the workmen and the management of M/s Parkash Tubes Ltd., Parkash Nagar, Bahadurgarh

BEFORE SHRI SITHU RAM SHARMA, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, HARYANA, FARIDABAD

Reference No 295 of 1978

between

THE WORKMEN AND THE MANAGEMENT OF M/S PARKASH TUBES LTD., PARKASH NAGAR, BAHADURGARH.

Present. -

Shri Sagar Ram Gupta for the workmen.

Shri C. K. Agrawal for the management.

AWARD

By order No. ID/RTK/11-78/35211, dated 27th July, 1978, the Governor of Haryana referred the following disputes between the management M/s. Parkash Tubes Ltd., Parkash Nagar, Bahadurgarh and its workmen, to this Tribunal, for adjudication in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 :—

(1) Whether the attendance cards should be supplied to all the workmen? If so, with what details?

(2) Whether the Indentity Cards should be supplied to all the workmen? If so, with what details?

(3) Whether the heat allowance should be given to all the workmen? If so, with what delails?

(4) Whether the house rent should be granted to all the workmen? If so, with what details and from which date?

(5) Whether the Cycle Allowance should be granted to all the workmen? If so, with what details?

On receipt of the order of reference, notices were issued to the parties. The parties appeared and filed their pleadings. On the pleadings of the parties, following issues were framed on 8th March, 1979 :—

(1) Whether the Government did not apply its mind for referring the dispute?

(2) Whether the settlements pleaded by the management hit the reference?

(3) Whether the workmen are stopped from raising the dispute by their conduct?

(4) Whether the sponsoring union had no *lonus standi* to raise the demand?

(5) Whether the attendance cards should be supplied to all the workmen? If so, with what details?

(6) Whether the Indentity Cards should be supplied to all the workmen? If so, with what details?

(7) Whether the heat allowance should be given to all the workmen? If so, with what details?

(8) Whether the house-rent allowance should be granted to all the workmen? If so, with with details and from which date?

(9) Whether the Cycle Allowance should be granted to all the workmen? If so, with what details?

And the case was fixed for the evidence of the workmen. Thereafter the parties arrived at a settlement. They filed settlement and admitted the execution and justness of the settlement. I have also gone through the settlement. It is just and proper. I, therefore, give my award in terms of the settlement. The settlement shall form part of the award.

Dated 13th July, 1979.

NATHU RAM SHARMA,

Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Haryana, Faridabad.

No. 676, dated 21st July, 1979

Forwarded (four copies alongwith four copies of the settlement) to the Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Departments, Chandigarh, as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

NATHU RAM SHARMA,

Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Haryana, Faridabad.

समझौते का ज्ञापन

धारा 12(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

पक्षों के नाम :—मैसर्स प्रकाश ट्यूबस लिमिटेड, प्रकाश नगर, बहादुरगढ़ जिला रोहतक, हरियाणा

एवं

उनके कर्मचारी,
प्रकाश नगर स्थित फैक्टरी बहादुरगढ़ ।

प्रबन्धक के प्रतिनिधि—
1. श्री के. पी. गुप्ता, वर्क्स मैनेजर,
2. श्री बी. आर. गर्ग, वर्क्स सैक्रेटरी,
3. श्री सी. के. अग्रवाल, लेबर एडवाईजर,
4. श्री ए. सी. शर्मा, श्रम अधिकारी ।

श्रमिक प्रतिनिधि—
1. श्री आर. एस. दहिया,
2. श्री मनी राम,
3. श्री जिया लाल,
4. श्री वशिष्ट चौबे,
5. श्री मथुरा दत,
6. श्री मेवा लाल ।

संक्षिप्त विवरण—गत 19 अप्रैल, 1978 को दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था । 19 अप्रैल, 1978 का समझौता धारा 12(3) औद्योगिक अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत हुआ था । जिसकी अवधि 18 अप्रैल, 1979 तक है । इस अवधि के मध्य समझौते में तय पाए गए कुछ विवाद श्रम विभाग हरियाणा ने इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल, हरियाणा को अभिनिर्णय हेतु प्रेषित किए थे जो कि केस नं० 295/1978 के अधीन दर्ज किया गया । 1 मार्च, 1979 की द्विपक्षीय मिटिंग में श्रमिकों की तरफ से 10 (दस) मांगे पेश की गईं (प्रतिलिपि संलग्न है) । यद्यपि 19 अप्रैल, 1978 का समझौता दोनों पक्षों पर बाध्य है फिर भी औद्योगिक शान्ति एवं प्रबन्धक-श्रमिक के मध्य मधुर एवं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के बीच कई तिथियों को विचार विमर्श हुआ । कम्पनी के उच्च अधिकारी तथा श्रम विभाग के हस्ताक्षेप एवं सहयोग द्वारा दोनों पक्षों के बीच निम्नलिखित समझौता हुआ :—

समझौते की शर्तें

1. बोनस 1978-79—दोनों पक्षों में यह तय पाया गया कि 1978-79 का बोनस पेयमैन्ट ऑफ बोनस एक्ट के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । कम्पनी का बिल वर्ष मार्च, 1979 में समाप्त होगा । बैलेन्स शीट पूरी होने में कुछ महिने लगेंगे इस लिए यह तय हुआ है कि आगामी दिपावली तक लाभांश के अनुसार बोनस की घोषणा की जाएगी ।

2. ग्रेड.—दोनों पक्षों में यह तय पाया गया कि श्रमिकों के लिए निम्नलिखित ग्रेड लागू किये जायेंगे जो 10 साल तक चलेंगे :—

(कन्सोलिडेटिड रेटस ऑफ वेजीज)

अन-स्किल्ड	170—5—205—7½—242½
सैमी स्किल्ड	183—7½—220½—10—270½
स्किल्ड बी	218—12½—280½—15—355½
स्किल्ड ए	225—15—300—20—400

उपरोक्त ग्रेड जून, 1979 से लागू होंगे और यह बढ़ोतरी जून 1979 से होगी ।

3. उपरोक्त के अलावा श्रम विभाग द्वारा समय समय जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत घटोतरी व बढ़ोतरी होगी उसके मुताबिक सभी श्रमिकों को दिया जाएगा । इस कानून को नीचे दिया जाता है—

The Minimum rate of wages being fixed are linked with the composite Haryana State Working Class Consumer Price Index Numbers (Base Year: 1972-73) with January, 1976 as the base month. The rate of neutralisation will be 75 paise per point on the rise or fall of the Consumer Price Index Numbers. Adjustment in wages will be made six monthly i. e. 1st January and 1st July every year taking the everage rise or fall in the State Composite Index.

4. हॉट अलाऊन्स .— जब जब जी. आई. उत्पादन होता है उस समय ही जी आई. विभाग में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन प्रतिधारी 1.25 रुपए अल्पाहार हेतु दिये जायेंगे । श्रमिकों ने आवासन दिया है कि यह धन राशि उसी दिन अल्पाहार में व्यय करेंगे यह मई 1979 से लागू होगी ।

5. नाईट ड्यूटी अलाऊन्स:—यह मांग श्रमिकों ने वापस ले ली, (बीथड्रोल एज सैटेल्ड)

6. हाउस रैन्ट अलाउन्स—यह तय पाया गया कि जिन श्रमिकों के सेवा काल की अवधि 6 मास से ऊपर है प्रति कर्मचारी, प्रति माह 10 (दस रुए) के हिसाब से दिया जाएगा । यह मकान किराया जो श्रमिक कम्पनी के अन्दर रहते हैं, व जिन श्रमिकों के निजि मकान हैं तथा जिन की 6 मास से कम सर्विस है उन को यह भत्ता नहीं दिया जायेगा । अर्थात् यह किराया भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन की कार्यकाल की अवधि 6 मास से उपर है जो कम्पनी की कालोनी में नहीं रहते तथा जिन के पास निजी मकान नहीं हैं तथा जिन को अभी तक यह भत्ता नहीं मिलता एवं किराये का मकान लेकर रह रहे हैं ।

दोनों पक्षों में यह तय पाया गया कि आवास योजना का पूर्ण लाभ उठाया जायेगा । तथा दोनों पक्ष इस के लिए सचेष्ट रहेंगे । जब तक ऐसी आवास योजना के अनुसार श्रमिकों को मकान नहीं मिलते हैं तब तक उपरोक्त किराया भत्ता मिलेगा । यह एलाऊन्स मई 1979 से लागू होगा ।

7. साईकिल भत्ता—जो कर्मचारी कम्पनी के कार्य पर बाहर से आने के लिए अपनी साईकिल का प्रयोग करते है उन्हें यह भत्ता दो रुपये से बढ़ा कर 2.50 रुपए (ढ़ाई रुपया) माह मई के वेतन पर प्रति श्रमिक प्रति माह की दर से दिया जाएगा । यह भत्ता केवल ड्यूटी पर आने वाले कार्यकाल के लिए ही दिया जाएगा ।

8. वर्दी—यह दोनों पक्षों में तय पाया गया कि जिन कर्मचारियों के कार्यकाल की अवधि छः माह से उपर है उन्हें प्रति वर्ष एक बार 25 रुपये (पच्चीस रुपये) वर्दी पर खर्च करने के लिए दिये जायेंगे । कर्मचारी पक्ष ने यह आश्वासन दिया कि वर्दी पर लगने वाली बाकी धन राशि अपनी तरफ से लगा कर वर्दी बना लेंगे, स्पष्ट रूप से माना गया कि जिन कर्मचारियों को आज तक वर्दियां मिल रही हैं वह इस वर्ष से बन्द कर दी जाएगी । क्योंकि यह वर्दी भत्ता समस्त कर्मचारियों को जिन की कार्यकाल की अवधि 6 मास से उपर है मिलेगा । जी आई. कर्मचारियों को वर्ष मे एक बार और कुल (दो बारह) वर्दी भत्ता 25 रुपए की दर से दिया जाएगा

9. बोनस 1977-78.—यह दोनों पक्षों में तय पाया गया कि वर्ष 1977-78 का कोई और बोनस नहीं बनता । फिर भी श्रमिक पक्ष की विनती पर और होली के उपलक्ष में कम्पनी के वाइस चेयरमैन साहब ने 1977-78 की वार्षिक वेतन का ढ़ाई प्रतिशत अनुरूप धन के रूप में और देना स्वीकार किया है । उसने इसे सहर्ष वाइस चेयरमैन को धन्यवाद देते हुए इसे

स्वीकार किया। यह अनुग्रह धन राशि उन्हीं कर्मचारियों को दिया जायेगा जो 1977-78 से आज तक कम्पनी की सेवा में है। बी.सी. साहिब की यह स्वीकृति भविष्य के लिए कोई उदाहरण या परिपाटी नहीं लगाई जायेगी।

10. उत्पादन एवं उत्पादकता.—दोनों पक्षों में यह तय पाया गया कि उत्पादन कर्ताओं की संख्या संलग्न कापी के अनुसार होगी। और संलग्न बी. में जो उत्पादन नोरमल तय हुए हैं, वह सभी पूरे हो सकते हैं, जब मशीन बिल्कुल अच्छी चालू हालत में हो, और रा मैटीरियल भी पूरा हो, उत्पादन देने में सिवाय मेहनत के किसी भी तरह की कमी न हो। और जो उत्पादन कर्ताओं की संख्या तय हुई है। अगर कम्पनी या विभाग में जो श्रमिक अलग बचते है, तो उन की नौकरी पर किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अगर कोई मशीनरी खराब होगी तो उसकी इतला शीघ्र देनी होगी।

11. श्रमिक पद यह आश्वासन देते हैं कि वे अनुशासन हीनता नहीं करेंगे तथा पूर्ण रूप से अनुशासन का पालन करेंगे।

12. यह तय पाया गया कि उपरोक्त समझौता यह 1 मई, 1979 से जुलाई 1980 तक के लिए लागू रहेगा। श्रमिक पक्ष ने यह आश्वासन दिया कि उपरोक्त समझौते की अवधि के अन्दर किसी भी प्रकार की वार्षिक मांग नहीं उठायेंगे और न ही तय पाये हुए विषयों पर फिर से विवाद उठायेंगे।

13. यह तय पाया गया कि इस मसझौते को हरियाणा इन्डस्ट्रीयल ट्रब्यूनल में दर्ज किया जायेगा जिस से सब रहे विवाद समाप्त हो जायेंगे। यह तय पाया गया कि एक शिकायत निवारण हेतु निम्न समिति का गठन किया जायेगा। इस से दिन प्रतिदिन सामने आने वाली कार्य की समस्यायें सुलझाई जा सकें।

श्रमिक पक्ष—

1. श्री मनी राम
2. श्री मथुरा

कम्पनी पक्ष—

1. श्री एस. के. कालरा
2. श्री अमी चन्द शर्मा

जब तक किसी समस्या पर यह समिति विचार नहीं कर लेती तब तक कोई मामला श्रम विभाग या श्रम न्यायालय में नहीं उठाया जाएगा।

14. श्रमिक पक्ष ने यह आश्वासन दिया कि नैशनल प्रोडेक्टीविटी कोन्सील की टीम जब प्रतिष्ठान में मैथड सटडी आदि के लिए आए उसे पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, व वार्ता के पश्चात् उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा।

दोनों पक्ष इस समझौते से पूर्णतया सन्तुष्ट हैं, और आपसी सद्भावना की सराहना करते है, एवं विश्वास व्यक्त करते हैं कि आपसी वार्तालाप द्वारा सम्बन्ध मधुर बनाने की पद्धति से सर्वोपरि है इस पर पूर्णतया अनुसरण करेंगे।

प्रबन्धक पक्ष	श्रमिक पक्ष
1. श्री के. पी. गुप्ता, वर्क्स मैनेजर	1. श्री आर. एस. दहिया
2. श्री बी. आर. गर्ग, वर्क्स सैक्रेटरी	2. श्री मनी राम
3. श्री सी. के. अग्रवाल, लेबर एडवाईजर	3. श्री जिया लाल
4. श्री ए. सी. शर्मा, श्रम अधिकारी	4. श्री वशिष्ट चोगे
	5. श्री मथुरा दत्त
	6. श्री मेवा लाल

संलग्न बी

थ्रडिंग विभाग के 8 घण्टे प्रतिशत के मापदण्ड (नौर्मस)

क्रमांक	पाईप का साईज	थ्रडि पाईपों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
1	1/2"	2,550	
2	3/4"	2,350	
3	1"	2,120	छोटी और बड़ी थ्रडिन के लिये 11 व्यक्ति
4	1/1/4"	1,800	
5	1/1/2"	1,600	काले पाईप के लिये
6	2"	1,200	बारनिशिंग के लिये 4 आदमी और
7	2—1/2"	1,200	
8	3"	9,50	
9	4"	850	

जी. आई. विभाग के 8 घण्टे प्रति शिफ्ट के माप दण्ड (नौमर्स)

क्रमांक	पाईपों का साईज	पाईपों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
1	1/2"	3,200	
2	3/4"	3,000	यह तय पाया गया कि मशीनों ट्राली आदि में सुधार किया जायेगा और श्रमिकों की संख्या 24 से 18 कर दी जायेगी, इस कमी से किसी श्रमिक को निकाला नहीं जाएगा।
3	1"	2,600	
4	1 1/4"	2,400	
5	1/1/2"	1,800	
6	2"	1,600	
7	2-1/2"	900	
8	3"	900	
9	4"	650	

पाईप मिल्स—पाईप मिल्स में कुछ सुधार किये जा रहे हैं। जब यह सुधार पूरे हो जायेंगे उस समय मिल पर श्रमिकों की संख्या व उत्पादन के बारे में विचार किया जाएगा।